

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत निदेशालय अनुजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि० प्र० द्वारा अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों अल्पसंख्यकों एंव विशेष रूप से सक्षम के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं का विवरणः—

सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजनाएं

(1) वृद्धावस्था/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन/ राष्ट्रीय विधवा पैशन / राष्ट्रीय अपंगता पैशन /अपंग राहत भत्ता :-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष हो , तथा प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000/-रु० से अधिक न हो , को 700/-रु० प्रति माह की दर से यह पैशन दी जा रही है । 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैशनरों को जनवरी, 2018 से बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1250/-रु० प्रति माह की दर से यह पैशन देने का प्रावधान नियमों में किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन योजना के अंतर्गत उन वृद्धों को जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के सदस्य हो को भारत सरकार द्वारा 200/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन प्रदान की जाती है । 700/-रु० की दर से पैशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 500/-रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैशनरों को भारत सरकार द्वारा 500/- रु० प्रतिमाह की दर से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन प्रदान की जाती है । 1250/-रु० प्रति माह की दर से पैशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 750/-रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है ।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैशन योजना (IGNWPS) के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा 300/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय विधवा पैशन प्रदान की जाती है । 700/-रु० की दर से पैशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 400/-रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है ।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा 300/- रु० प्रतिमाह की दर से राष्ट्रीय अपंगता पैशन प्रदान की जाती है । 1250/-रु० की दर से पैशन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 950/-रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त खर्च वहन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उन विकलांग व्यक्तियों को

जिनकी विकलांगता 40 से 69 प्रतिशत के बीच हो तथा समस्त साधनों से वार्षिक आय 35000/-रु0 से अधिक न हो, को 700/- रु0 प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों, जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी /निगमों /बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो को बिना आय सीमा की शर्त के 1250/- रु0 प्रतिमाह की दर से विकलांग राहत भत्ता दिया जा रहा है।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

(2) विधवा पैशन/परित्यक्ता पैशन:-

विभाग द्वारा ऐसी विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाएं जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय समस्त साधनों से 35000/-रु0 से अधिक न हो, को 1—4—2017 से 700/-रु0 प्रति माह की दर से यह पैशन दी जा रही है।

(3) कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता:-

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता 1—4—2017 से 700/-रु0 प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। इसमें कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है।

(4) ट्रॉसजैण्डर पैशन :—

ऐसे ट्रॉसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिलास्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गये हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रॉसजैण्डर पैशन प्रदान की जा रही है।

उक्त पैन्शन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित बजट व भौतिक व वित्तीय उपलब्धि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय (लाखों में)	भौतिक लक्ष्य
2012—13	15,839.00	15,689.55	2,82,552
2013—14	20194.32	20,115.48	2,82,552+10,369 (नये मामले 01—04—2013) =2,92,921
2014—15	23,412.85	23,327.27	2,92,921+12,000(नये मामले 01—04—2014)= 3,04,921
2015—2016	30243.64	29169.69	3,04,921+35000(नये

			मामले 01–4–2015 से स्वीकृत किये गये) =3,39,921
2016–17	35392.64	35087.86	3,63,921+25247(नये मामले 01–10–2016 से स्वीकृत किये गये) =3,89,168
2017–18	40252.00	15625.49(नवम्बर,2017)	3,89,168+24829(नये मामले 01–04–2017से स्वीकृत किये गये) =4,13,997

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 40252.00 लाख रुपए की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु योजना वार बजट प्रावधान का विवरण निम्न अनुसार है:—

क्र० सं०	पैन्शन योजना का नाम	लाभार्थियों के निर्धारित लक्ष्य	बजट प्रावधान 2017–18 (लाखों में)	कुल व्यय (11/ 2017) तक
1	वृद्धावस्था पैशन योजना	1,65,865		
2	अपंग राहत भत्ता	48,743	22597.50	9932.61
3	विधवा पैशन	80,688	12053.50	2783.30
4	कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता	1,482	123.00	40.58
5	ट्रॉसजैण्डर पैशन	150	10.00	0
5	इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन योजना	94,120	4341.00	2360.00
6	इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैशन योजना	22,020	1055.00	482.92
7	इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैशन योजना	929	72.00	26.08
	कुल	4,13,997	40252.00	15625.49

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार को 20,000 रु0 की सहायता दी जाती है। परिवार की कोई महिला, जो कि घर का खर्च चलाती है, भी इस प्रयोजनार्थ मुख्य जीविकोपार्जक मानी जाती है। स्थानीय जांच के बाद मृतक गरीब के परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाता है जो उस परिवार में प्रमुख व्यक्ति पाया गया हो। इस योजना के प्रयोजनार्थ, “परिवार” शब्द में दंपति छोटे बच्चों, अविवाहित लड़कियां और आश्रित माता—पिता शामिल हैं। अविवाहित व्यस्क की मृत्यु के मामले में परिवार शब्द में छोटे भाई/ बहन या आश्रित माता—पिता को शामिल किया जाता है। ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की आयु में हुई हो। मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के प्रत्येक मामले में परिवार को सहायता राशि दी जाती है। बजट व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	बजट(लाखो में)	व्यय (लाखो में)	भौतिक उपलब्धियां
2014–15	444.00	396.10	1981
2015–16	450.00	351.70	1163
2016–17	450.00	351.70	1163
2017–18	450.00	128.40(नवम्बर,2017)	653

अनु० जाति, अनु० जन जाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु योजनाएं

(1) **अनुवर्ती कार्यक्रम:**— इस योजना के अन्तर्गत अनु०जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 35,000/-रुपये से कम हो तथा जिन्होंने आई०टी०आई० या किसी अन्य प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन, एवं उपकरण खरीदने के लिए 1800/-रुपये तथा कताई, बुनाई तथा चमड़ा कार्य के औजार के लिये 1300/- रुपये प्रति लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाती है।

बजट व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लक्ष्य/भौतिक उपलब्धियां
2012–13	57.01	50.45	3092
2013–14	58.99	43.61	2915

2014–15	98.55	84.36	5624
2015–16	117.45	106.76	7447/5769
2016–17	134.50	135.57	7452/7545
2017–18	135.50	88.41(11/2017)	7527/4912

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 135.50 लाख रुपए की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है तथा 7527 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) **अन्तर्जातीय विवाह** :—समाज में छुआछूत की कुप्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामान्य जाति के ऐसे युवक /युवती जिन्होंने अनुसूचित जाति की युवती / युवक से विवाह किया हो, को 50,000/-रु0 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। बजट व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लक्ष्य /उपलब्धियां
2012–13	69.25	69.05	277
2013–14	96.75	94.50	326
2014–15	172.50	173.00	406
2015–16	266.25	264.00	390/574
2016–17	192.00	167.50	366/364
2017–18	156.00	107.25(11/2017)	302/216

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 156.00 लाख रुपए की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है तथा 302 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) **गृह अनुदान योजना**:— इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अल्पसंख्यक, विकलांगजन और विधवा, एकल नारी/ बेसहारा महिलाओं को भी जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु0 से कम हो, जिनके नाम राजस्व रिकोर्ड में मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो और जिनके पास मकान न हो, को मकान निर्माण हेतु 1,30,000/- रु0 तथा मुरम्मत हेतु 25,000/-रु0 का अनुदान दिया जाता है। बजट व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लक्ष्य /उपलब्धियां
2012–13	2161.77	2153.03	4618
2013–14	2148.76	2102.67	2887

2014–15	1910.11	1851.75	2591
2015–16	2437.50	2431.50	3128/3357
2016–17	2668.00	2670.00	3167/3751
2017–18	1750.00	1350.75(11/2017)	1346/1041

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 1750.00 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है तथा 1346 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(4) **मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना** :— प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रदेश में “मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना” लागू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों (सिवाए जिला शिमला विधान सभा चुनाव क्षेत्र के शिमला शहरी जहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा जिला सोलन व सिरमौर के 8 विधान सभा क्षेत्रों, जो कि पच्छाद, नाहन, पौंटा साहिब, रेणुका, अर्की, कसौली, सोलन व दून जहां पर प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना संचालित है।) में से दो ऐसे गांवों का चयन किया जायेगा जहां पर अनु० जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो व कुल जनसंख्या 200 या इससे उपर है। मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, घरों व स्ट्रीट में लाईट व्यवस्था, साफ – सफाई, दूरभाष, शिक्षा एवं बैंकिंग इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत प्रत्येक गांव को रु० 10.00 लाख की राशि प्रतिगांव गैप फिलिंग के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2017–18 में 1165.00 लाख बजट आवंटित है।

(5) कम्प्यूटर एप्लिकेशन व समवर्गी किया—क्लापों में प्रशिक्षण एवम् दक्षता योजना

इस योजना के अन्तर्गत “अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल नारी, विधवा, अपंग के बी०पी०एल० परिवारों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों या जिनकी वार्षिक आय 2,00,000/- रु० से कम हो को विभिन्न कम्प्यूटर कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत 1350/- रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण की फीस (अपंग अभ्यार्थियों के लिये 1500/- रुपये प्रशिक्षण फीस) तथा प्रशिक्षण के दौरान 1000/- रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति (अपंग अभ्यार्थियों के लिये 1200/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति) दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सफल उम्मीदवार को प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र दिया जाएगा और उन्हें छः माह के लिए सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए रखा जाता है तथा इस अवधि के दौरान उन्हें 1500/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति (अपंग अभ्यार्थियों के लिये 1800/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति) दी जाती है। बजट व प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय(लाखोंमें)	लाभार्थियों की संख्या
2012–13	123.62	114.79	712
2013–14	134.54	130.47	1005
2014–15	510.98	462.91	1990
2015–16	329.00	209.34	2766
2016–17	533.00	268.00	2998 (प्रशिक्षण अवधि दि० 15/11/016 से 15/11/017)
2017–18	454.00	1,98,28,564/11,2017	—यथा—

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 454.00 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान है ।

(6) अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राहतः— अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों जिन्हें सामान्य जाति के लोगों द्वारा जाति के आधार पर पीड़ित किए जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर अथवा न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर 1,00,000/- रु0 से लेकर 8,25,000 /—रु0 तक (दिनांक 29 सितम्बर,2017 से नई अधिसूचना) अत्याचार के प्रकार अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । बजट प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	व्यय (लाखों में)	लाभार्थीयों की संख्या
2013–14	20.14	68
2014–15	8.53	36
2015–16	15.34	45
2016–17	4.66	45
2017–18	11.31	-

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 50.00 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है ।

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये केन्द्रीय प्रायोजित छात्रावास निर्माण योजना :-

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के शिक्षा स्तर में विकास तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 50:50 के अनुपात में

छात्रावास निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा था। 1 जनवरी, 2008 से इस योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया है तथा इस योजना का नाम “बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना” दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1970–71 से अब तक अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 19 छात्रावास, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 छात्रावास निर्माण उपरान्त संचालन हेतु शिक्षा विभाग को सौंप दिए हैं तथा अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 3 छात्रावास, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 3 छात्रावास निर्माणाधीन हैं जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए 2, तथा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये 2 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत 300.00 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 28 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 230.00 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक सिविल सेवा परीक्षा उतीर्ण करने वाले अभ्यार्थियों को सहायता योजना:— इस योजना के अन्तर्गत वह अभ्यार्थी/ विद्यार्थी जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो जिन्होंने संघ लोक आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा उतीर्ण की हो, बिना आय तथा जाति के अभ्यार्थियों/ विद्यार्थियों को 30,000/-रूपये की राशि सहायता के रूप में एक बार ही प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में आवंटित बजट 10,00000/- रु0 , व्यय 7,20,000/- रु0 तथा शेष राशि 2,80,000/-रु0 है।

प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना: प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2010–11 में सम्मिलित किया गया है तथा इस योजना के तहत प्रदेश के दो जिलों – सोलन तथा सिरमौर के 225 गांवों (सोलन–100, सिरमौर–125) को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना गया है। प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, घरों व स्ट्रीट में लाईट व्यवस्था, साफ – सफाई, दूरभाष, शिक्षा एवं बैंकिंग इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। यह योजना उपायुक्त सिरमौर तथा सोलन के द्वारा ग्रमीण विकास प्राधीकरण के माध्यम से संचालित है।

इस योजना के तहत भारत सरकार से कुल 45 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है तथा 4 करोड़ 50 लाख रूपये के राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य शेयर के रूप में जारी की गई जिसमें से जिला सिरमौर को 27 करोड़ 50 लाख तथा जिला सोलन को 22 करोड़ की राशि जारी की गई है। जिसमें से प्रत्येक चिन्हित गांव के लिए गैप-फिलिंग फण्डज के रूप में 20.00 लाख रूपये की राशि प्रति गांव उपलब्ध करवाई जा रही है। 30–09–2017 तक वित्तीय एवं भौतिक प्रति निम्न प्रकार से है:—

Sr. No.	Name of Districts	No. of Selected Villages	Central Share for implementation of PMAGY (in lacs)	State Share as Gap – filling fund (in lacs)	Total (in lacs)	Expenditure up to 30-09-2017 (in lacs)	Unspent Balance with D.Cs. (in lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Solan	100	2000.00	200.00	2200.00	1891.96 (86%)	440.77
2	Sirmour	125	2500.00	250.00	2750.00	2601.65 (94.61%)	350.58
	Total	225	4500.00	450.00	4950.00	4493.61 (90.78%)	791.35

Physical Progress Report up to 30-09-2017

Distt.	No. of selected villages	No. of approved works	No. of works completed	No. of ongoing works	No. of works not started yet	No. of pending works (Col.6+7)
Solan	100	1376	1004(73%)	268(19%)	104(8%)	372(27%)
Sirmaur	125	1280	1126(88%)	154(12%)	0	154(12%)
Total	225	2656	2139 (81%)	422 (16%)	104(4%)	526(20%)

विकलांगजन हेतु योजनाएं

1. विकलांगता पहचान पत्रः— ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की जाती है, को विभाग द्वारा जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से कम्पयूट्रीकृत विकलांगता पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं जिसके आधार पर विकलांग व्यक्ति राज्य/भारत सरकार द्वारा संचालित विकलांगों के कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। 30.11.2017 तक विभाग द्वारा 87028 को पहचान पत्र जारी किए गये हैं।

2. विकलांग छात्रों हेतु छात्रवृत्ति:- विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने व वितीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे विकलांग छात्र जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो को बिना किसी आय सीमा के निम्न विवरणानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है :—

कक्षा का स्तर

छात्र वृत्ति

छात्रावास में रहने वाले

(1) पहली से पाचवीं तक	500/-रु0 प्रति माह	1500/-रु0 प्रति माह
(2) छठी से आठवीं तक	600/-रु0 प्रति माह	1500/-रु0 प्रति माह
(3) नवीं से दसवीं तक	750/-रु0 प्रति माह	1500/-रु0 प्रतिमाह
(4) ग्यारवीं से बारहवीं तक	1000/-रु0 प्रति माह	2000/-रु0 प्रतिमाह
(5) बी०ए०/बी०ए०स०सी०/बी०कॉम०तक	1500/-रु0 प्रति माह	3000/-रु0 प्रतिमाह
(6) बी.ई./बी.टैक./एम०बी०बी०ए०स०/		
एल०एल०बी०/बी०ए०ड०	1750/-रु0 प्रति माह	3000/-रु0 प्रतिमाह
(7) एम०ए०/एम०ए०स०सी०/एम०कॉम०तक	1750/-रु0 प्रति माह	3000/-रु0प्रतिमाह

बजट प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	बजट(लाखो में)	व्यय (लाखो में)	उपलब्धियां
2012–13	66.29	65.61	1287
2013–14	85.26	83.07	1635
2014–15	91.73	90.96	1426
2015–16	104.20	102.93	1500
2016–17	102.74	102.10	1367
2017–18	108.00	65.10	692

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 108.00 लाख रुपये की राशि का बजट आवंटित किया गया है।

3. स्व: रोजगार सहायता :— 40 प्रतिशत या इस से अधिक विकलागंता वाले व्यक्तियों को लधु औद्योगिक इकाईयां जैसे की चाय, दर्जी, छोटी वाहन, ब्यूटी पार्लर इत्यादि की दुकान के लिए अल्प संख्यक वित्त एंव विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा मु0 10000/-रु0 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	बजट(लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लक्ष्य
2012–13	8.10	8.10	81
2013–14	10.20	10.20	102
2014–15	8.70	8.70	87

2015–16	11.00	10.30	103
2016–17	14.00	9.00	90
2017–18	14.00	—	—

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 14.00 लाख रुपये की राशि का बजट आंबंटित किया गया है।

4. व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विकलांगजनों का कौशल विकास :— चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजन को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है और 1000/- रु0 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय (लाखों में)	लक्ष्य
2012–13	10.92	10.92	40
2013–14	9.95	9.95	38
2014–15	15.00	9.42	50
2015–16	15.00	11.59	47
2016–17	15.00	34.58	105
2017–18	15.00	—	—

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 15.00 लाख रुपये की राशि का बजट आंबंटित किया गया है।

5. विवाह अनुदान :— इस घटक के अन्तर्गत स्वेच्छा से विकलांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25,000/-रु0 (विकलांगता प्रतिशतता 40 प्रतिशत से 74 प्रतिशत होने पर) व 50,000 रु0 (विकलांगता प्रतिशतता 75 प्रतिशत व अधिक होने पर) की राशि दी जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बजट(लाखों में)	व्यय (लाखों में)	उपलब्धियां
2012–13	21.70	21.69	244
2013–14	25.72	25.16	278

2014–15	26.07	22.08	184
2015–16	39.51	38.83	247
2016–17	36.00	28.58	163
2017–18	36.00	9.47(30 सितम्बर, 2017)	54

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत 36.00 लाख रूपये की राशि का बजट आबंटित किया गया है।

6. विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षा:— प्रदेश में मूक बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में स्थापित संस्थान में 13 दृष्टिवाधित तथा 92 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इसके अलावा 10 दृष्टिवाधित और 4 श्रवणदोष की छात्राएँ सुन्दरनगर विशेष बच्चों हेतु आई0 टी0 आई0 में प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनका रहन—सहन, शिक्षा, चिकित्सा का खर्चा सरकार वहन कर रही है। इस संस्थान के लिए रु0 89.95 लाख के बजट के प्रावधान से 31–12–2016 तक रु0 58.96 लाख व्यय हुए हैं इस वर्ष ढल्ली, दाड़ी स्कूल/ आश्रम के लिए हिं0प्र0 बाल कल्याण परिषद को रु0 100.00 लाख की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें 54.17 लाख रु0 की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम उना में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है इसके अतिरिक्त आस्था वैलफेर रोसाईटी नाहन, पैराडाइज केयर सेन्टर चुवाड़ी, आदर्श ऐजुकेशन सोसाईटी कलाथ और उड़ान, रिसपाईट केयर सेन्टर न्यू शिमला तथा आशा किरण शिक्षा संस्थान घुमारवी जिला बिलासपुर में इस वर्ष क्रमशः 20 मानसिक रूप से अविकसित व्यस्क पुरुषों, 30 मानसिक रूप से अविकसित पुरुष तथा महिलाओं (10 महिला एवं 20 पुरुष), 60 मानसिक रूप से अविकसित वयस्क महिलाओं, 15 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तथा 27 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को निःशुल्क रहन सहन भोजन तथा चिकित्सा हेतु 4500/- रूपये प्रति आवासी की दर से वहन कर रही है। मानसिक रूप से अविकसित बच्चों /व्यस्क पुरुषों व

महिलाओं हेतु 67,51.950 लाख का बजट प्रावधान है और 31–03–2017 तक मानसिक रूप से अविकसित बच्चों /व्यस्कों हेतु 71.57 लाख तक की राशि व्यय की जा चुकी है।

7. विकलांगता पुनर्वास केन्द्र :— प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडकास सोसाईटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं।

अन्य योजनाएं

वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम इस विभाग द्वारा अकेले, बेसहारा वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रमों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ये वृद्धाश्रम दाढ़ी(धर्मशाला), बसन्तपुर(शिमला), भंगरोटू(मण्डी), कलाथ(मनाली)में हैं। इसके अतिरिक्त एक वृद्धाश्रम कचेनदंगयान मैमोरियल वैलफेयर सोसाईटी गांव कीह डा० कीह गोम्पा (स्थिति) जिला लाहौल स्थिति में केन्द्र सरकार की अनुदान सहायता से संचालित किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में वृद्धजनों को मुफ्त रहन—सहन, भोजन, चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि की सुविधा दी जाती है।

Skill Up Gradation with Job/Placement (SUJOP Scheme):-

संचालित योजना (सुजोप) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के अभ्यार्थियों को विभिन्न उद्योगिक ईकाईयों/संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु रोजगार के दृष्टिगत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना मुख्य लक्ष्य है। योजना अधिसूचना के मापदण्डानुसार राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता प्रतिशत्ता 40 प्रतिशत व उससे अधिक हों के अतिरिक्त ऐसी परित्यक्ता/बेसहारा/विधवा महिलाएँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित अभ्यार्थियों जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के माध्य हों तथा जिनके परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हों योजना के अनुरूप पात्र होंगे।

योजना क्रम—6 के 1 क्रम (i) अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयनीत संस्थानों को 5000/- रूपये प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त यदि संस्थान में रहन सहन (Boarding & Lodging) की भी व्यवस्था हो की स्थिति में 5000/-रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी शुल्क/रहन सहन की दर से संस्थान को दिया जाना प्रस्तावित है। अतः क्रम (iii) की पृष्ठि में गैर आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में विशेष रूप से सक्षम अभ्यार्थियों को 1200/-रु० एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों 1000/- रु० प्रति माह की दर से (Stipend) छात्रवृति दी जाती है।

अतः अधिसूचना क्रम—6 के 11 में योजना के अन्तर्गत गठित कमेटी यदि अनुमोदित करती है तो विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर गैर आवासीय “विशेष रूप से सक्षम अभ्यार्थियों एवं लड़कियों”

को 5000/- रु० प्रति माह प्रशिक्षण के दौरान रहन सहन हेतु दिये जाने का भी प्रावधान है। परन्तु उन्हें उक्त निर्धारित (Stipend) नहीं दिया जायेगा।

वर्ष	कुल बजट	कुल व्यय	मौतेक उपलब्धि
2012–13	2.00 लाख	शून्य	—
2013–14	2.00 लाख	शून्य	—
2014–15	3.00 लाख	1,82000(118000 का अभ्यपण किया गया है) 3.00	9
2015–16	3.00 लाख	$157500+142500=3.00$	गत वर्ष व्यय भुगतान हेतु
2016–17	38 लाख	$340000+2550000=2890500$	$23+50=83$
2017–18	$5.00+236.00=241.00$	17524510.00 व्यय को जा चुको है अतः $7530000/-$ लाख रुपये का भुगतान अभी अपेक्षित है के दृष्टिगत वितीय वर्ष में आवंटित राशि 241.00 लाख का पूर्ण व्यय सुनिश्चित है	645

2. भिक्षावृति निवारण:— अधिनियम 1979 का 22 वां अधिनियम की उप घारा (1) के अनुसार हिमाचल प्रदेश भिक्षावृति नियम 1980 का प्रारूप समसंख्यक अधिसूचना 2–07–1980, जिसका प्रकाशन दिनांक 26–07–1980 को किया गया था। भिक्षावृति अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 1–03–1982 द्वारा प्रदेश में भिक्षावृति निवारण व भिक्षार्थुओं को चिन्हित करना व उन्हें भिखारी गृह उपलब्ध कर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है अधिनियम का कार्यान्वयन पुलिस विभाग माध्यम से किया जा रहा है। परन्तु प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक व वर्तमान में इस राज्य में कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

3. हि० प्र० बन्दी के समयपूर्व रिहायी/ दया याचिका:— अधिनियम 1968, 172(अधिनियम संख्या 22 ऑफ 1968) गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी 1970 के अन्तर्गत बन्दी को समयपूर्व/ दया याचिका रिहायी प्रावधान के सम्बन्ध में इस विभाग के संयुक्त निदेशक मुख्य परीविक्षा अधिकारी चयनित है व अधिनियम का कार्यान्वयन महानिदेशक(कारागार) की उनकी देखरेख में किया जाता है।

(1) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला द्वारा संचालित कार्यक्रम:

- (1) वृद्ध आश्रम दाढ़ी (धर्मशाला)
- (2) परिषद का कार्यालय
- (3) विकलांगों के लिए ढल्ली में स्थित 4 संस्थान

(2) सिस्टर आफ चैरिटी ऊना :—

(1) मानसिक रूप से अविकसित 6–10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रेम आश्रम ऊना

(3) हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, शिमला–2

(1) वृद्धाश्रम बसन्तपुर

(4) बल्ह बैली कल्याण सभा भंगरोटू जिला मण्डी :—

(1) वृद्धाश्रम भंगरोटू

(5) ऐज केयर इण्डिया हिमाचल प्रदेश चैप्टर शिमला :—

(1) वृद्धों के लिए डे–केयर सैन्टर, छोटा शिमला, सलाणा (शोधी)

(6) हिमाचल प्रदेश सीनियर सिटिजन फार्म शिमला– 01

(1) वृद्धों के लिए डे–केयर सैन्टर, शिमला, नजदीक कार पार्किंग, हि० प्र० ०० उच्च न्यायालय

(7) हैल्पेज इंडिया

(1) वृद्धों के लिये हैल्पलाईन एवं काउंसलिंग सैंटर, न्यू शिमला ।

(8) आदर्श शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति :—

(1) वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम तथा डेकेयर सैन्टर, कलाथ, मनाली ।

(9) कचेन दुंग्याल मैमोरियल वृद्धाश्रम :—

(1) वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम गाँव कीह डाठ कीह गोंपा (स्थिति)

इस वृद्धाश्रम को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ।

(10) आस्था वैल्फेयर सोसाईटी, नाहन जिला सिरमौर :—

(1) मानसिक रूप से अविकसित व्यस्क पुरुषों के लिये आश्रम ।

(2) वृद्धजनों हेतु डेकेयर सेंटर, नाहन ।

वृद्धजनों हेतु

(i) डेकेयर सैन्टर कुल्लू

(ii) वृद्धों के लिये डेकेयर सैन्टर निरमण

(iii) वृद्धों के लिये डेकेयर सैन्टर आनी, भूत्तर, बंजार, मनाली

(11) स्वर्ण एजूकेशनल, वैलफेयर अवैयरनैस ट्रस्ट, शिमला –09

(i) वृद्धों महिलाओं के लिये डेकेयर सैन्टर (सोलन)

विभाग द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय/ राज्य अधिनियम

विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित अधिनियम व नियम जो विभाग के द्वारा स्वयं या अन्य विभागों की मार्फत कार्यान्वित किये जा रहे हैं :—

1. नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955
2. अनु.जाति/जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

3. हिंप्र० भिक्षा वृति निवारण अधिनियम 1979
4. व्यक्ति जिनमें अक्षमताएँ हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- 5 राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999
6. हिंप्र० माता पिता एवं आश्रित भरण पोषण अधिनियम 2001
7. परिवीक्षा अधिनियम 1958
8. हिंप्र० गुड कन्डकट प्रिजनरज प्रोबेशन रिलीफ एकट, 1968
9. Public Service Guarantee Act 2011
10. Right to Information Act 2005.

बोर्ड, परिषद

(क) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण इत्यादि:-

- हिंप्र० लबाणा कल्याण बोर्ड
- हिंप्र० अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड
- हिंप्र० अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड
- हिंप्र० कबीरपंथी कल्याण बोर्ड
- हिंप्र० गोरखा कल्याण बोर्ड
- हिंप्र० अनु० जाति कल्याण बोर्ड
- विकलांग जन हेतु कल्याण बोर्ड
- संत रविदास कल्याण बोर्ड
- हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मी समाज कल्याण बोर्ड
- खेवट पंथ, खेवट/दरेझ समुदाय कल्याण बोर्ड
- कोली कल्याण बोर्ड
- बाल्मीकी समाज कल्याण बोर्ड
